पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

PTCUL

पत्रांक : 1857/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक: 23.10.2024

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 19.10.2024 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर।/।।)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल....................।

कृपया दिनांक 19.10.2024 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 तददिनांक : –

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी–सचिव/डॉ0ए0आ0–निदेशक(मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0 एवं प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक अभियन्ता (सू0 एवं प्रौ0), पिटकुल, देहरादून।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 19.10.2024 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

बैठक में विभिन्न इकाईयों के आनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से उपस्थित कार्यालय अधीक्षकों/कार्यालय सहायकों के अतिरिक्त मानव संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुएः–

1. श्री विवेकानन्द, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी
2. श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. श्री राजेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी
4. श्री शिवराज पुण्डीर, लेखाकार
5. श्रीमती दीपा रानी रावत राणा, कार्यालय अधीक्षक–प्रथम
6. श्रीमती ममता, कार्यालय सहायक–प्रथम

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेन्शन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थितिः–
वित्त विभाग द्वारा निस्तारित/कोषाधिकारी को प्रेषित प्रकरणः–

क्र0 सं0	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा–निर्देश
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता	30.06.2024	132 के0वी0 परि0 एवं अनु0 खण्ड, अल्मोड़ा	पेंशन प्रकरण खण्ड कार्यालय से आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त दिनांक 15.10.2024 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
4	श्रीमती राजबाला, स्वच्छकार	31.07.2024	132 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपकेन्द्र, ज्वालापुर	पेंशन प्रकरण खण्ड कार्यालय से आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त दिनांक 08.10.2024 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
5	श्री योगेश कुमार अवर अभियन्ता	30.04.2024	220 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपकेन्द्र, पिरानकलियर	वित्त विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रकरण मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को मार्ग–दर्शन हेतु प्रेषित।	–

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यालयों के ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें ई0पी0एफ0 की धनराशि प्राप्त करने की जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें ससमय ई0पी0एफ0 हेतु आवेदन करने के लिए जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्रमशः..............2

2. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों द्वारा ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में जिन भी कार्मिकों को ई–ऑफिस से सम्बन्धित प्रशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से मानव संसाधन अनुभाग में पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यालय से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण से सम्बन्धित डेटा अपने स्तर पर संरक्षित रखें तथा उक्त की पी0आई0एस0 में भी एन्ट्री करते रहें ताकि उक्त के सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न हों।

4. सम्बन्धित कार्यालय के जो कार्मिक बिना कारण अथवा नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के बिना ऑन–लाईन बैठक में उपस्थित नही होते हैं वह कार्मिक आगामी मासिक बैठक में ऑफ–लाईन के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय में उपस्थित रहेंगें।

(अजय कुमार शर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

(विवेकानन्द)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी